



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक:-प.4(1)(5)/निमअ/गोपनीय/2012/

जयपुर, दिनांक:-

उप निदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
समस्त जिला।

विषय:-राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की समयवाधि दिनांक 30.06.2022 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 31.05.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित कार्मिक विभाग के परिपत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित हैं, जिसके द्वारा कार्मिक विभाग ने राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने की अवधि दिनांक 30.06.2022 तक बढ़ाई गई है। परिपत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(डॉ. आभा जैन)

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक:-प.4(1)(5)/निमअ/गोपनीय/2012/22280-83

जयपुर, दिनांक:- 8/6/2022

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त अधिकारी/कर्मचारी
4. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022

जयपुर दिनांक 31 MAY 2022

-परिपत्र:-

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 13(51)का/क-1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं दिनांक 22.04.2022 के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वयं के SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर दिनांक 31 मई, 2022 तक अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया गया था। एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी का अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनाये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरने एवं Auto Forward/Approval किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 31.05.2022 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2022 तक की जाती है।

भवदीय



(श्री. रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभारगीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कार्मिकों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।



संयुक्त शासन सचिव